भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1783

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

जघन्य अपराधों के दोषियों को लेकर सरकार का नरम रुख

1783. डॉ0 भारतकुमार राऊतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशों के मद्देनजर बलात्कार संबंधी अपराधों और महिला संबंधी हिंसा को लेकर विधान पारित करने के लिए बिल्कुल तैयार है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में अध्यादेश का प्रख्यापन पर्याप्त नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम में संशोधन करने की न्यायमूर्ति वर्मा की कई सिफारिशों से इंकार किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को लेकर नरम रुख अपनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (ग) : सरकार ने यौन हिंसा के मामलों में अधिक कठोर सजा दिए जाने के प्रावधान के लिए पहले ही दिनांक 3.2.2013 को दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 की घोषणा कर दी है। अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ और धारा 376 ड. के अधीन यौन हिंसा के अपराध के लिए बढ़ाई गई सजा में न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि सजायाफ्ता व्यक्ति अपने वास्तविक जीवनकाल अथवा मृत्यु तक कारावास में रहेगा। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति ने भारतीय दंड संहिता, दांडिक विधि संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा समिति द्वारा प्रस्तावित अधिकांश संशोधनों को दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 में समाविष्ट कर दिया गया है। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश भी है हैः-

"सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 6 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगाः

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही शुरु नहीं की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 376(1), 376(2), 376(3), 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ड. के अंतर्गत कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी"।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 की धारा 6 में अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में सशस्त्र बल कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में कोई अपराध/यौन हमला करने के आरोपी किसी सुरक्षा कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई करने के लिए स्वीकृति की अपेक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है और इसलिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 की धारा 6 में संशोधन आवश्यक नहीं है।